भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1993

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना

1993. श्री देवेश शाक्य:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एटा-कासगंज और आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विगत पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत स्थापना हेतु स्वीकृत नई इकाइयों की संख्या कितनी है और वर्तमान में ऐसी कितनी इकाइयाँ कार्यरत हैं तथा इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर इन इकाइयों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में एमएसएमई संकुल विकास, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी), प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और डिजिटल एवं ई-कॉमर्स सुविधा के विस्तार हेतु कोई विशेष परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय उद्यमियों को ऋण, ऋण गारंटी, राजसहायता या प्रशिक्षण सहायता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार की इन क्षेत्रों में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु भावी योजनाओं/कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो देश भर में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में भावी उद्यमियों की सहायता करके मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। विगत पांच वर्षों के दौरान एटा-कासगंज और आंवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम के अंतर्गत, एटा जिले में आधारभूत संरचना के विकास के अंतर्गत दो परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इनमें से एक परियोजना अर्थात् एटा में औद्योगिक संपदा की स्थापना सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। दूसरी परियोजना, एटा में औद्योगिक संपदा के उन्नयन से संबंधित है, जो वर्तमान में प्रगति पर है।

एमएसएमई मंत्रालय की प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम के अंतर्गत, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन और भागीदारी, वर्चुअल व्यापार मेला, विक्रेता विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाने, बार कोड और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने, राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों और खुदरा दुकानों के विकास जैसे घटकों के तहत उत्तर प्रदेश के एमएसई सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए बाजार पहुंच पहल सृजित करने के लिए लाभ प्रदान किया जाता है।

(ग) एवं (घ): देश भर में ऋण पहुंच, राजसहायता और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

I. विनिर्माण क्षेत्र के लिए पात्र अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।

II. जून 2025 से हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से भौतिक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।

III. डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि और रेशम उत्पादन जैसे पशुपालन के अंतर्गत अधिक क्रियाकलापों की अनुमति प्रदान करने के लिए नकारात्मक सूची को संशोधित करके क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाना। एक विशेष मामले के रूप में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत सुअर पालन को पूर्वोत्तर राज्यों में अनुमति दी गई है।

IV. 10 लाख तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर बल नहीं दिया जाता है।

V. उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।

VI. विभिन्न उद्योगों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और आवेदकों को गुणवत्तापूर्ण डीपीआर प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

VII. वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न प्रबंधकीय और प्रचालन कार्यों से संबंधित अभिविन्यास और जागरूकता प्रदान करने के लिए भावी उद्यमियों और लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

VIII. पिछड़े और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।

****

अनुबंध-I

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1993 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

एटा, कासगंज और आंवला लोकसभा क्षेत्रों में विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार।

वित्तीय वर्ष	एटा		कासगंज		आंवला	
	सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की सं.	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की सं.	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की सं.	अनुमानित सृजित रोजगार
2020-21	81	648	64	512	275	2200
2021-22	107	856	109	872	313	2504
2022-23	123	984	70	560	207	1656
2023-24	145	1160	90	720	172	1376
2024-25	51	408	51	408	57	456
कुल	**507**	**4056**	**384**	**3072**	**1024**	**8192**